


प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
संजीदा बनाम बिलकिस

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
022	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः उभयपक्ष /अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.07.22 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख0 सं0 2648 रकबा 0.3700हे0 वाके ग्राम चकनासरावाद तहसील किशनगढबास जिला अलवर पर आगामी पेशी तारीख पर आर. ए.डी रसीद पेश करने कि शर्त पर मौके की स्थिति यथावत रखने बाबत् टी.आई जारी की जाती है।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलवाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.07.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   उपखण्ड अधिकारी  किशनगढबास(अलवर) </p>	

~~12-7-22~~ 12-7-22 प्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 12-9-22  
को पेश हो।

रीडर

12-9-22...पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। बार हाफठामे ख्याम  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक...31-10-22  
को पेश हो।

~~स~~  
रीडर

31-10-22 वकील डा.पी. उप. पी.ओ. साहब उभय ठामे मे  
व्यस्त है। आयन्दा दिनांक 14-11-22 को पेश  
की

14-11-22 ~~पत्रावली पेश हुई। वकील का मुसवाफ अफम चवरी  
अफम पेखी मे खारिज हो चुका है। अतः  
प्रतिना पत्र भी अफम चवरी अफम पेखी मे  
खारिज किया जाता है। प्रतिना पत्र फिल  
अफम चवरी खारिज मुसवाफ रहे।~~ ~~की~~